फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत दयानन्द रूवल, आर.ए.एस. उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

चंचल देवी बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर.एक्ट मुकदमा न0 **46 / 2023**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.09.2023	आज यह पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार सूरजगढ़ से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई एवं मुताबिक जमाबंदी अनुसार पक्षकारान के शपथ पत्र पेश किये गये। जो शामिल मिशल किये गये। तहसीलदार सूरजगढ़ की जांच रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/2023/261 दिनांक 12.09.2023 के मुताबिक राजस्व ग्राम घिंधवा आथुना की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 91 खसरा न0 130, 286, 287, 288, 291, 468/288, 494/131 कुल किता 7 कुल रकबा 6.56 है0 भूमि में 1/16 हिस्सा चमेली देवी पुत्री रामानन्द मेघवाल दर्ज रिकार्ड है। राजस्व ग्राम घिंधवा आथुना के मजमे आम में पुछताछ करने पर बताया गया कि चमेली देवी एवं चंचल देवी एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया गया है। प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेजात यथा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, विद्यालय ट्रांसफर सर्टिफिकेट, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड व प्रस्तुत शपथ पत्र में चंचलदेवी दर्ज है। अतः तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का सही नाम राजस्व ग्राम घिंधवा आथुना की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 130, 286, 287, 288, 291, 468/288, 494/131 कुल किता 7 कुल रकबा 6.56 है0 भूमि में चमेली देवी पुत्री रामानन्द हिस्सा 1/16 के स्थान पर चंचलदेवी पुत्री रामानन्द दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती हैं। तहसीलदार सूरजगढ़ उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती की कार्यवाही करें। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर है। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	